

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 774]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2015/अग्रहायण 20, 1937

No. 774]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2015/AGRAHAYANA 20, 1937

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 956(अ).—केंद्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड नियमावली, 1974 को संशोधित करने के लिए और निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड नियम, 1974 में नियम 3 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा अर्थात् :

(1) "अपने मूल विभाग में अभिप्राप्त होने वाली सेवा की निबंधन और शर्तें तथा अपने मूल विभाग में अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के होते हुए भी अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष के अवधि के लिए पद पर बना रहेगा:

परंतु अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य तीन वर्ष की और अवधि के लिए पुनः नियुक्ति हेतु पात्र होंगे :

परंतु यह और कि अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य साठ वर्ष की आयु के परे पद पर धारण नहीं बने रहेंगे :

परंतु यह भी कि अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के पद पर बढ़ाई गई अवधि और पहली और दूसरी नियुक्ति के बीच मध्यवर्ती अवधि यदि कोई हो, सहित कुल कार्यकाल छह वर्ष से अधिक नहीं होगा।"

[सं. 08/01/2015-बीबीएमबी]

अनिरुद्ध कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम तारीख 14 दिसंबर, 1974 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1330, द्वारा भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के द्वारा संशोधित की गई थी।

- (i) सा.का.नि. 1709, तारीख 4 दिसंबर, 1976
- (ii) सा.का.नि. 749, तारीख 18 जून, 1977
- (iii) सा.का.नि. 556, तारीख 29 अप्रैल, 1978
- (iv) सा.का.नि. 1221, तारीख 7 अक्तूबर, 1978
- (v) सा.का.नि. 454, तारीख 24 मार्च, 1979
- (vi) सा.का.नि. 114, तारीख 26 जनवरी, 1980
- (vii) सा.का.नि. 478, तारीख 16 मई, 1981
- (viii) सा.का.नि. 38, तारीख 26 दिसंबर, 1984
- (ix) सा.का.नि. 821, तारीख 31 अगस्त, 1985
- (x) सा.का.नि. 664, तारीख 14 अगस्त, 1987
- (xi) सा.का.नि. 576, तारीख 6 जुलाई, 1989
- (xii) सा.का.नि. 322, तारीख 28 जून, 1990
- (xiii) सा.का.नि. 148, तारीख 1 मार्च, 2000
- (xiv) सा.का.नि. 362, तारीख 5 अक्तूबर, 2005
- (xv) सा.का.नि. 107, तारीख 6 जुलाई, 2009
- (xvi) सा.का.नि. 90, तारीख 19 मई, 2010
- (xvii) सा.का.नि. 178, तारीख 1 अक्तूबर, 2010
- (xviii) सा.का.नि., तारीख ... अक्तूबर, 2010

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 11 December, 2015

G.S.R. 956(E).—In exercise of the powers conferred by section 97 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Bhakra Beas Management Board Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Bhakra Beas Management Board (second Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bhakra Beas Management Board Rules, 1974, in rule 3, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

(1) “ Notwithstanding the terms and conditions of service obtaining in his/her parent department and superannuation from his/her parent department, the Chairman or a whole-time Member shall continue to hold office for a term of three years from the date on which he/she assumes charge of his/her office:

Provided that Chairman or a whole-time Member shall be eligible for re-appointment for a further term of three years:

Provided further that the Chairman or a whole-time Member shall not hold office beyond the age of sixty years:

Provided also that total tenure including the extended period and intervening period between first and second appointment, if any, on the post of Chairman or whole –time Member, Bhakra Beas Management Board shall not exceed six years."

[No. 08/01/2015-BBMB]

ANIRUDDHA KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1330, dated the 14th December, 1974 and subsequently amended *vide* numbers:—

- (i) G.S.R. 1709, dated the 4th December, 1976;
- (ii) G.S.R. 749, dated the 18th June, 1977;
- (iii) G.S.R. 556, dated the 29th April, 1978;
- (iv) G.S.R. 1221, dated the 7th October, 1978;
- (v) G.S.R. 454, dated the 24th March, 1979;
- (vi) G.S.R. 114, dated the 26th January, 1980;
- (vii) G.S.R. 478, dated the 16th May, 1981;
- (viii) G.S.R. 38, dated the 26th December, 1984;
- (ix) G.S.R. 821, dated the 31st August, 1985;
- (x) G.S.R. 664, dated the 14th August, 1987;
- (xi) G.S.R. 576, dated the 6th July, 1989;
- (xii) G.S.R. 322, dated the 28th June, 1990;
- (xiii) G.S.R. 148, dated the 1st March, 2000;
- (xiv) G.S.R. 362, dated the 5th October, 2005;
- (xv) G.S.R. 107, dated the 6th July, 2009;
- (xvi) G.S.R. 90, dated the 19th May, 2010;
- (xvii) G.S.R. 178, dated the 1st October, 2010;
- (xviii) G.S.R. ... , dated the October, 2015;